संख्या ...10749 /7- अधि0/शासन
दिनांक ... 28/12

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 एवं विशेषज्ञ
सिंचाई एवं जल निकास (कोष)
डायरी सं० C-466 दिनांक 30-12-10
राज्य जल संसाधन अभिकरण
वाल्मी भवन, उतरेठिया लखनऊ

8302/86
28/12/10

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई अनुभाग-4

संख्या-6601/10-27-सिं0-4-44(डब्ल्यू)/09
लखनऊः दिनांकः 27 दिसम्बर, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा जलवायु परिवर्तन विषय पर निर्धारित 08 मिशनों के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24-12-2009 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त में लिये गये निर्णयानुसार राष्ट्रीय जल मिशन हेतु एतद्द्वारा निम्नवत् कोर ग्रुप का गठन किया जाता है :-

1	प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, भूगर्भ जल विभाग/लघु सिंचाई अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	सिंचाई एवं जल निकास विशेषज्ञ, स्वारा	सदस्य सचिव
6	निदेशक, पर्यावरण विभाग	सदस्य
7	महानिदेशक, टाटा इनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट के प्रतिनिधि	सदस्य
8	भारतीय प्रोद्योगिक संस्थान, कानपुर/दिल्ली/रुड़की के प्रतिनिधित	सदस्य
9	मोतीलाल नेहरू, राष्ट्रीय प्रोद्योगिक संस्थान, इलाहाबाद के प्रतिनिधि	सदस्य

मु0 अभि0 (जल सं0) स्वारा

मुख्य अभियन्ता, सिं0वि0
28/12

2- उक्त कोर ग्रुप का कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगा:-

- जलवायु परिवर्तन का प्रदेश के जल संसाधन पर पड़ने वाले प्रभाव की नीति निर्धारण कार्यकम तथा क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा नियंत्रण करना।
- सूखा, बाढ़ एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर जलवायु परिर्तन से पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए नवीन तकनीकी जानकारी हेतु संबंधित संस्थाओं को निर्देश देना।
- कोर ग्रुप द्वारा दिये गये परामर्श के कम में आख्या मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को दिया जाना।

3- जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय जल मिशन हेतु गठित उपर्युक्त कोर ग्रुप की समय-समय पर बैठकें जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा करायी जायेंगी तथा इन बैठकों में यथावश्यक अन्य विषय के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है। कोर ग्रुप से संबंधित व्यय का वहन राज्य जल संसाधन अभिकरण द्वारा अपने स्रोतों से किया जायेगा।

पेयजल विशेषज्ञ
30/12/10

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 एवं विशेषज्ञ
सिंचाई एवं जल निकास
राज्य जल संसाधन अभिकरण

30/12/10

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

T-2064

(91121)

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- उपर्युक्त कोर ग्रुप के समस्त सदस्य।
3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सिंचाई एवं जल निकास विशेषज्ञ, राज्य जल संसाधन अभिकरण, वाल्मी भवन, उतरेठिया, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय विलास)
संयुक्त सचिव।